केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीतसिंह मार्ग
नई दिल्ली-110016
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
18, Institutional Area, SJS Marg
New Delhi- 110016
www.kvsangathan.nic.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

दिनांक: 5.03.2026 12

# सार्वजनिक सूचना

**विषय: के.वि.सं. यूनिफॉर्म, प्रतीक चिन्ह (Logo) एवं पहचान के अनधिकृत उपयोग तथा भ्रामक प्रस्तुतीकरण के संबंध में**

**केन्द्रीय विद्यालय संगठन** , भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, जो देश तथा विदेश में संचालित केन्द्रीय विद्यालयों का प्रशासन करता है और लाखों विद्यार्थियों के शैक्षिक, नैतिक तथा समग्र विकास हेतु प्रतिबद्ध है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संज्ञान में यह आया है कि **के.वि.सं. यूनिफॉर्म, आधिकारिक प्रतीक चिन्ह (Logo), नाम तथा अन्य पहचान-चिह्नों** का **बिना अनुमति** सोशल मीडिया रील्स, वीडियो, फिल्मों, वेब कंटेंट तथा अन्य डिजिटल/दृश्य माध्यमों में उपयोग किया जा रहा है। कुछ मामलों में केवीएस एवं उसके विद्यार्थियों को **अपमानजनक, अश्लील, आपत्तिजनक, भ्रामक अथवा अनुचित रूप में** प्रस्तुत किया जा रहा है।

**महत्वपूर्ण सूचना**
केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि—

1. **कोई भी व्यक्ति, कंटेंट क्रिएटर, फिल्म निर्माता, प्रोडक्शन हाउस, डिजिटल मीडिया एजेंसी अथवा आमजन** निम्नलिखित का उपयोग **पूर्व लिखित अनुमति के बिना** नहीं कर सकता—
    - केन्द्रीय विद्यालय की यूनिफॉर्म (या उससे मिलती-जुलती यूनिफॉर्म),
    - के.वि.सं. का आधिकारिक लोगो, नाम, प्रतीक-चिह्न या पहचान,
    - के.वि.सं. से संबद्धता का संकेत देने वाला कोई भी प्रस्तुतीकरण,

    किसी भी **रील, वीडियो, फिल्म, गीत, विज्ञापन, वेब सीरीज़, लघु वीडियो या डिजिटल/प्रिंट सामग्री में।**

2. के.वि.सं., उसके विद्यार्थियों, शिक्षकों अथवा संस्थानों को **अपमानजनक, अश्लील, अभद्र, रोमांटिक रूप में, मानहानिकारक, भ्रामक या अनैतिक तरीके से प्रस्तुत करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।**

3. के.वि.सं. की पहचान का **अनधिकृत उपयोग या गलत प्रस्तुतीकरण** एक **गंभीर उल्लंघन** माना जाएगा, जिसमें निम्न शामिल हैं---
    - मानहानि
    - भ्रामक प्रस्तुतीकरण (Misrepresentation) एवं संस्था की पहचान/प्रतिष्ठा का अनुचित लाभ उठाना (Passing Off)
    - बौद्धिक संपदा एवं ट्रेडमार्क अधिकारों का उल्लंघन
    - एक राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था की गरिमा, अनुशासन एवं प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाना

**कानूनी परिणाम**
इस सूचना का उल्लंघन करने वाले **किसी भी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा कठोर कानूनी कार्रवाई** की जाएगी, जिसमें **दीवानी एवं आपराधिक कार्यवाही, हर्जाने का दावा, सामग्री हटाने की कार्रवाई तथा अभियोजन** शामिल हो सकते हैं। इसके लिए **अतिरिक्त चेतावनी नहीं दी जाएगी।**

आवश्यकता पड़ने पर ऐसी सामग्री होस्ट करने वाले **डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है।**

**अपील**
सभी **कंटेंट क्रिएटर्स, फिल्म निर्माताओं, इन्फ्लुएंसर्स, प्रोडक्शन हाउस, मीडिया एजेंसियों तथा आम जनता** से अनुरोध है कि वे विद्यार्थियों, समाज तथा शैक्षणिक संस्थाओं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस सूचना का **कड़ाई से पालन करें।**

यह **सार्वजनिक सूचना जनहित में जारी की जा रही है तथा तत्काल प्रभाव से लागू** होगी।

दीपेश

**(दीपेश गहलोत)**
अपर आयुक्त (प्रशा.)